संख्या-2/2021/1910/76-4-2020-2/3(50)/2018

प्रेषक ,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांकः **01** जनवरी **2021**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** के अन्तर्गत अनुदान संख्या-**13** के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन(राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-**1442/ल0सिं0/बजट-व0ज0सं0 /2020-21,** दिनांक **10.12.2020** के क्रम में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-**1,** उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1/2020/बी-1-149/** दस-**2020-231/2020,** दिनांक **24.03.2020** के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** के अन्तर्गत अनुदान संख्या-**13** के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन योजना में प्राविधानित धनराशि रू**0-2000.00** लाख के सापेक्ष धनराशि रू**0-1000.00** लाख (रूपया दस करोड़ मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

(9) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.3.2020 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय की सूचना निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्श 2020-21 के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन योजना हेतु अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाषीर्शक ''4702-लघु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सिंचाई एवं पूँजीगत परिव्यय-102-भूजल-16-वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-ई-2-957/दस-2020, दिनांक 30.12.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 1910(1)/76-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास) /जिला विकास अधिकारी।
6- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।